


15/2/21

पत्रावली पैसा वसीत पत्राना उपाधिकारों वहल
विहार अधिवक्ता उममपराकारान् सुनी गरी
रौतान वहल विहार अधिवक्ता वारी डाटा
वादपत्र नो रोहा कए वादपत्र नो अतुलोष नो
प्रदान नरें न समय निर्णय वसीत छलियादी
नो वाद वारी खीकार नरें पर आपनित
नरी' ही

वाद वहल पत्रावली का आधोपान्ता
गहन मनन अवलोकन किया। वारी न
वादपत्र नो समय, वीचिदत अतुलोषादि,
प्रलियादीगठ नो अतुलोष पर इतबालिया
अवाव एवं वारी डाटा अपनै वादपत्र नो
नथनी' न समय न प्रस्तुत किये गए
सहावेजाल पर सम्यक विचार किया।

वारी डाटा वादपत्र प्रस्तुत कए निवेदन
किया कि, वारी का राजस्व अभिलेख
असाबंदी स' अपभ्रंश नाम बालाराम दर्त
है, जबकि बताया सभी सरकारी रिकार्ड
स' वारी का नाम बालचंद्र अंकित है।
वारी न राजस्व रिकार्ड स' सुरिधर नाम



उपस्थित अधिकारी
उममपराकारान्

दरज हो जाने से कई तहसीलों का सामना
होना पड़ रहा है।

अन्य क्रम में जारी में बदलाव 28 मि
वाले माल मौजा जुल्मी खंड नं. 2866, 2867
व 2872 किला उफवा 3.55 ई० पर नाम कुकुरा
का बालचंद करने तथा जारी व खिलवाही नं०
1 से 3 के मध्य 74-74 हिस्से अनुदान किला
करने का अनुलोष चला गया है।

सौरभ सुनवार खिलवाही नम्बर 1 से 3
डाटा इतबालिया जवाब पेस किया जवाब की
प्रति बिहार अधिवक्ता वरी नं० सी अंक
जवाब मा० कर किया गया।

खिलवाही 1 से 3 डाटा इतबालिया जवाब
पेशा होने पर सार्व वामी की गरी सार्व
में वरी डाटा खर्य का शपथ-पत्र खर्य Pw-1,
मकल जमाबंदी ग्राम जुल्मी स० 2004-07 वाला
नम्बर 254 खर्य-1, दाया प्रति आधा कर
नं० 7561, 1178, 4208, भारत विचित्र आयोग डाटा
जारी फॉर पत्तान पत्र नं० W.PD 0097592 विचार
समा खेप डा 197 जारी दि० 11.10.2008 खर्य 3A,
पेन कार्ड नं० ERUPB7756K खर्य 4A, भासा-
शह कर नं० YUUMAI0 दि० 19.4.16 खर्य 5A
बिना राजस्व सेमी ग्रामीण बैंक के वाला
नं० 45870100254222 की प्रति खर्य 6A,
ग्राम पंचायत पीपल पं० सं० भवानीमंडी डाटा
जारी रात्र कर की प्रति खर्य 7A, ग्राम
पंचायत जुल्मी का जमाठा पत्र दि० 15.1.21
खर्य 8A. अनुदान किया



उपरोक्त अधिकारी
सहायक जज

तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर ३-
अहमदाबाद
हुयम नं
में जं


अहमदाबाद में वारी एवं प्रतिवारी नम्बर
1. 3 वादागत शमि वार्ड माल मोजा जुल्मी
खत नं 2866, 2867, 2872 फिता 3 (नवा
3.55 के लमभाग में बोलोदा रमि थी
प्रतिवारी नम्बर 1 वारी का भाग है,
ज्या प्रति नं 2 व 3 भी वारी के लाम
वादागत शमि के सहबोलोदा थी प्रतिवारीगत
1. 3 के वाद वारी लीकाल कर पर
अपनी नली थी

रमि अर्थ 1 वादागत शमि पर वारी
का नाम बालाराम अंकित थी ज्या अर्थ-2
के 8 के अनुसार वारी का नाम बालचंद
होना उक्त होता है अर्थ 8 में अंकित
है, कि बालाराम व बालचंद के अर्थ
नली होत एक ही अर्थ थी

प्रतिवारी नम्बर 1 वारी का भाग
एवं वादागत शमि का हिस्सा 44 का
सहबोलोदा है, के डाटा वारी के अंतोष
रिमि जान पर अनापति उक्त की है, साथ
ही साथ वनाया सहबोलोदा के डाटा भी
अहमदाबाद अवाक अमुत क सहमति उक्त
की गई थी

अतः सहमति के आधार पर वाद


अधिकारी
अहमदाबाद



कर व
काम
म क
में जा


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

वादी स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया
जाता है, कि वादगण शमि ग्राम जुल्मी (कठ नं. 2866
2867, 2872 फिता 3 एतबा 3-55 हनुवादी का
नाम बाला राम के स्थान पर बालचंद्र रतन किया
जावे। उक्त शमि का वादी दि. 54 प्रीति. नं. 1 दि.
54, प्रीति. नं. 3 दि. 54 व प्रीति. नं. 4 दि. 54
के अनुसार खाला विकान्त किया जाता है।
प्रीति. नं. 4 R.T. Act राज्य मण्डल नियम 1955
के नियम 18 व 21 के अनुसार उक्त शमि के
विकान्त प्रस्ताव पेस कर्ण लखनुरा जामिक
डिप्टी मुर्शिदा ली।

लखीमनरा रामगंज मठडी के लहरीर जारी
सकत दि. 25/2/21 के पेस ली।

निर्णय भाष दि. 15/2/2021 के मेटे डाटा
लिखाया जाकर विद्वत् न्यायालय में सुनाया।



(देराल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमठडी

आर्थिक डिकरी व मुकद्दमे

(अर्द्ध 20, खण्ड 6-7, आपत्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
 उम्र देराल रात (I.A.S.)

2020
00288

बालचंद वनाम रामप्रसाद
 दावा बाबत 88-89-53 R.T. Act-1955

मुकद्दमा नं. 160 सन् 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-व-रु मुख्य देराल रात (I.A.S.)

बिजारी श्री शोभा राम भटी एड मिनजानिय मुद्दई व श्री परमानंद भटी एड.

मिनजानिय मुद्दायलाह पेश होकर, हुनम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि
 अदालत के आदेश पर वाद वाली स्वीकार किया जाऊए यह आदेश रिम जाता है, कि वादगत
 श्री ग्राम जुल्मी खन नं 2866, 2867, 2872 किला 3 एका 3.55 हे० पर वाली का नाम बालप्रसाद
 के स्थान पर बालचंद दर्ज किया जावे। उहा श्री का वाली दि० २, जलिन० १, दि० १५, जलिन० नं०
 २ दि० १५, जलिन० नं० ३ दि० १५ के अनुसार वाला किलाने किया जाता है जलिन० ५ R.T. Act
 राजप्र मंडल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार उहा श्री के विभाजन प्रभाव
 चीज पेश की मुबालिग १ बाबत १

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व सरह ५ फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक ५ को अदा करे।

वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15 माह 02 200-2021
 को जारी की गई।

मुहर उपखण्ड अधिकारी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी वा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील पर	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजराय हु कमनामा	
बाबत इजराय हु कमनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक				
मीजान....	-	-	मीजान ...	-	-

नोट-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना
 चाहिये। वाद व्यय प्रकाश अपना-अपना पटक नये।

रा. नु. बी. 139-2008-1:00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी